स्थायी वित्त निर्देश06/2024

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1941/वित्त/ब–4/संसा./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/07/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः–बैंक खातों के प्रबंधन एवं हस्तांतरित निधियों के लेखांकन संबंधित दिशा–निर्देश।

संदर्भः–1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्र. 68/वित्त/ब–4/चार/2012 (वित्त निर्देश 19/2012) दिनांक 25 अप्रैल, 2012

2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्र. 946/वित्त/ब–4/चार/2012 (वित्त निर्देश 34/2012) दिनांक 05 जून, 2012

3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्र. 1864/ब–4/चार (वित्त निर्देश 22/2022) दिनांक 16 सितम्बर, 2022

---000---

उपरोक्त संदर्भित वित्त निर्देशों के माध्यम से ई–पेमेंट, नये बैंक खाता खोलना तथा बैंक खातों के प्रबंधन एवं लेखांकन संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय संस्थागत वित्त कार्यालय से शासकीय योजनाओं की जमा राशि संबंधी मासिक जानकारी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि शासकीय योजनाओं के बैंक खातों की संख्या एवं उनमें जमा राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए वित्त निर्देश 22/2022 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार सरलीकृत दिशा–निर्देश प्रसारित किया जाता है :–

A. नवीन बैंक खाता खोलना (Opening of new bank accounts):–

i. प्रत्येक योजना के लिये बैंक खाते खोलने का उद्देश्य परिभाषित एवं प्रस्ताव औचित्यपूर्ण होना चाहिए। इसके लिये यह परीक्षण आवश्यक होगा कि योजनाओं के लिए राशि आहरित कर बैंक खाते में रखकर व्यय किया जाना क्यों आवश्यक है? क्या सीधे कोषालय से हितग्राही/वेंडर को भुगतान किया जाना संभव नहीं है?

ii. भारत सरकार के द्वारा SNA मॉडल लागू करते समय सभी CSS योजनाओं के लिए SNA का बचत खाता खोलने के निर्देश दिये गये है, इसे देखते हुए राज्य शासन की भी सभी योजनाओं के बैंक खातों को बचत खातों में परिवर्तित करने पर विचार किया जा रहा है। अतः विभाग समीक्षा कर पूर्व में खोले गये चालू बैंक खातों को बचत बैंक खातों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव तथा उपरोक्त A(i) के अनुसार मापदंड के आधार पर विभागों में पूर्व से संचालित सभी योजनाओं का परीक्षण करके योजनाओं की सूची एवं बैंक में खाता खोलने के औचित्य की जानकारी प्रपत्र–A में वित्त विभाग को एक माह के

निरतर..2/

अंदर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें कि राज्य बजट की सभी योजनाओं के बैंक खाते (केवल DDO के लिए अनुमति प्राप्त एक चालू खाता (Current Account) को छोड़कर) बचत खातों में परिवर्तित हो जाये।

iii. नवीन शासकीय योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर बैंक खाता खोलने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी। राज्य स्तरीय बैंक खाता खोलने की वित्त विभाग की इस स्वीकृति के आधार पर मैदानी कार्यालयों/जिला/ब्लॉक अथवा अन्य के लिये संबंधित प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग एवं महालेखाकार को सूचित करते हुए आदेश जारी करने हेतु स्वतः सक्षम होंगे।

iv. इन खातों में अर्जित ब्याज की राशि, प्रत्येक 03 माह में चालान से राज्य की संचित निधि में अनिवार्यतः जमा कर दी जाये।

B. बैंक खाते का प्रबंधन (Management of bank account)

i. शासकीय कोष से कोई भी राशि तब तक आहरित नहीं की जाये, जब तक कि इसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता नहीं हो। मांग की प्रत्याशा में अथवा बजट प्रावधान व्यपगत होने से बचाने हेतु शासकीय लेखों से धन का आहरण वर्जित है। यदि ऐसे मामले प्रकाश में आते है जिसमें राशि अनाधिकृत रूप से आहरित कर बैंक खाते में रखी जाती है, तो संबंधित DDO के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

ii. DDO द्वारा कोषालय से राशि आहरण आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि पूर्व में जारी की गई समस्त राशि का उपयोग किया जा चुका है तथा इसमें से कोई भी राशि अप्रयुक्त व बैंक खाते में शेष नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र विमुक्ति आदेश में अंकित किया जाये।

iii. अधिमानतः वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक खाते की शेष राशि को शासकीय खाते में जमा कर शून्य किया जाये।

iv. यदि किसी बैंक खाते का उपयोग एक से अधिक योजनाओं की राशि जमा करने के लिये किया जाता है. तो संबंधित कार्यालय/संस्था द्वारा योजनावार रोकड़ पुस्तिका एवं लेखे संधारित किये जायें ताकि राशियों को मिश्रित होने से रोका जा सके।

v. विभाग द्वारा मासिक समीक्षा निम्न बिन्दुओं पर की जाये :-

(a) किसी भी बंद हो चुकी योजना का बैंक खाता चालू ना रखा जाये। इस खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में वापिस जमा करते हुए खाता तत्काल बंद किया जाये।

(b) किसी भी संचालित योजना हेतु एक डीडीओ के कार्यालय में एक से अधिक खाता ना खोला जाये, यदि पूर्व से एक से अधिक खाते हो तो एक को यथावत् रखते हुए शेष सभी को बंद किया जावे।

C. खातों का अंकमिलान (Reconciliation of accounts):-

i. प्रत्येक डीडीओ हेतु स्वीकृत खाते के संबंध में डीडीओ द्वारा अनिवार्यतः प्रति माह के अंत में बैंक स्टेटमेंट का मिलान कैशबुक से किया जाये। इसकी निगरानी विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी/वित्त शाखा के मुख्य अधिकारी द्वारा की जाये।

निरतर..3/

ii. डी.डी.ओ./खातों के संचालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख के समक्ष बैंक समाधान विवरण की प्रति तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि कार्यालयीन लेखों का मिलान बैंक स्टेटमेंट से कर लिया गया है, अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

iii. बैंक द्वारा बैंकिंग कानूनों व नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाये। आवश्यकता पड़ने पर बैंको द्वारा समझौता ज्ञापन के तहत विभाग/संस्था/लेखा परीक्षा विभाग अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों को धन के भुगतान के संबंध में अभिलेखों के परीक्षण की अनुमति प्रदान की जाये।

D. खातों का प्रकटन (Disclosure of accounts)

i. डीडीओ/ स्वायत्त या वैधानिक संस्थाओं (स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों, मण्डलों, निगमों, समितियों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य) द्वारा संलग्न प्रपत्र–B में प्रतिवर्ष 30 जून तक सभी बैंक खातों की जानकारी तैयार कर अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से विभागाध्यक्ष को भेजी जावे तथा इसकी एक प्रति संबंधित कोषालय को दी जावे। विभागाध्यक्ष द्वारा संकलित खातों की समीक्षा कर प्रपत्र–C में प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग के माध्यम से 31 जुलाई तक वित्त विभाग को भेजी जाये। इसकी एक प्रति महालेखाकार को भी दी जावे।

ii. कोषालयवार जानकारी संकलित कर संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन तथा महालेखाकार को प्रेषित की जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

निरंतर..4/

पृष्ठां.क्र. 1942/वित्त/ब–4/संसा./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/07/2024

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

–––––को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु ।

01/07/2024

(निखिल कुमार अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

प्रपत्र–A

योजनाओं हेतु बैंक खातों का औचित्य

(राशि ₹हजार में)

क्रमांक	योजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	वार्षिक बजट प्रावधान	बैंक खातों में राशि जमा करने का औचित्य	बैंक खातों की संख्या					इनमें से कुल बचत बैंक खातों की संख्या	चालू खातों को बचत बैंक खाते में परिवर्तित करने का प्रस्ताव
				राज्य स्तर	जिला स्तर	विकास खंड स्तर	पंचायत स्तर/ अन्य	कुल बैंक खाते (5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सक्षम प्राधिकारी

टीपः– कृपया एक योजना/उद्देश्य के लिये राज्य स्तर एवं मैदानी कार्यालयों की जानकारी संकलित कर एकल प्रपत्र में ही जानकारी उपलब्ध करावें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–B

DDO से संकलित करके विभागाध्यक्ष स्तर पर संधारण हेतु

विभाग का नाम..

(राशि ₹हजार में)

डीडीओ का क्रमांक, नाम एवं पदनाम / संस्था का विवरण	योजना का नाम	बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का नाम	गत वर्ष की बैलेंस राशि (31 मार्च की स्थिति में क्लोजिंग बैंलेस)	वर्ष के दौरान जमा राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि	वर्ष के दौरान कुल भुगतान(शासन के कोष में चालान से जमा ब्याज सहित)	आगामी 1 अप्रैल की स्थिति का ओपनिंग बैलेंस (बचत राशि) (4+5+6–7)	भुगतान में से शासन के कोष में चालान से जमा ब्याज की राशि	यदि बचत राशि चालान से जमा की गई तो विवरण	राशि जमा नहीं किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सक्षम प्राधिकारी

[signature] 2025
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–C

विभागाध्यक्ष से प्रशासकीय विभाग को भेजे जाने वाले विवरण हेतु

विभाग का नाम...

(राशि ₹हजार में)

स. क्र.	योजना का नाम	कुल DDO की संख्या	कुल बैंक खातों की संख्या	गत वर्ष का कुल बैंलेस (31 मार्च की स्थिति में क्लोजिंग बैंलेस)	वर्ष के दौरान कुल जमा राशि	वर्ष के दौरान कुल प्राप्त ब्याज राशि	वर्ष के दौरान कुल आहरित राशि	आगामी 1 अप्रैल की स्थिति में कुल बचत राशि (5+6+7–8)	भुगतान में से शासन के कोष में चालान से कुल जमा ब्याज की राशि	यदि बचत राशि चालान से जमा की गई हो तो कुल राशि का विवरण	राशि जमा नहीं करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख

10/07/2024

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर